न्याय चौपाल

विवाद नहीं, संवाद

हर परिवेश में "चौपाल" एक विशिष्ट अर्थ रखता है। सबके लिए सुलभ जगह होने से लोग यहां बैठ सकते हैं, खुल कर बातें कर सकते हैं, खुशियों को प्रकट कर सकते हैं, अपने दुख और समस्याओं को साझा कर सकते हैं। इस जगह पर लोग सौहार्दपूर्ण और सहज माहौल में आपसी असहमति और विवादों का समाधान निकाल सकते हैं। "न्याय चौपाल" हमारी अति प्राचीन परंतु अति श्रेष्ठ परंपरा है। संस्कार और संस्कृति में है। परंतु हमारी वर्तमान न्याय-व्यवस्था में इसके लिए स्थान नहीं है। जो न्याय-व्यवस्था है उसे हमारे अंग्रेज़ शासकों ने निर्धारित किया, जिसे अभी तक बनाए रखा गया है। "न्याय चौपाल" भारतीय समाज का अपना अविष्कार है। इसका संबंध हमारे सामाजिक दर्शन से है। इसे वैज्ञानिक, सामयिक और सर्वसुलभ बनाना ही राम राज्य की पुनः स्थापना है।

प्रतीक चिह्न (हाथ मिलाने की अभिव्यक्ति) से ही स्पष्ट है कि यह ऐसे लोगों का समूह है, जो साथ बैठकर लोगों के विवाद उन्हीं की सहमति से हल करने में मदद करता है। इसका आदर्श-वाक्य "विवाद नहीं संवाद" स्पष्ट करता है कि विचार- विमर्श और संवाद के जरिए किसी भी विवाद का हल निकाला जा सकता है, साथ ही इसे पुलिस और कोर्ट में जाने से रोका भी जा सकता है।

अवधारणा

समाज में सद्भाव और परस्परता बनाये रखने के लिए लोगों के बीच विवादों का संतोषजनक समाधान बहुत जरूरी होता है। भारत में विवादों का अनौपचारिक और मैत्रीपूर्ण समाधान परंपरागत रूप से पंचायत नाम की एक संस्था करती रही है, जो बड़े-बूढ़ों को पंच बनाकर चलाई जाती रही है। इसका मूल पारस्परिक्ता है।

अंग्रेजों ने विवादों के समाधान के लिए एक विरोधाभासी व्यवस्था शुरू की। हर तरह के न्यायिक निर्णय के लिए उसी को लागू किया। विवादों के हल में यह व्यवस्था सभी पक्षों को संतुष्ट करने और शिकायतों के पूर्ण समाधान में बाधक ही साबित हुई है। इस तरह की न्याय व्यवस्था में आम तौर पर सभी संतुष्ट नहीं हो पाते अथवा कहें कि कम से कम एक पक्ष संतुष्ट नहीं हो पाता। क्योंकि वह पक्ष अनुभव करता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। इसीलिए निर्णय को न्याय का पर्याय मानने की भूल को हम सकारात्मक प्रयास से सुधारना चाहते हैं। इस तरह यह वैकल्पिक समाज आधारित न्याय व्यवस्था है, जिसकी रचना के उद्यम में हम एक प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान न्यायिक राहत वाली बहुस्तरीय व्यवस्था में धन और समय की बर्बादी के कारण न केवल वादकारियों की तकलीफें बढ़ जाती हैं, बल्कि पहले से ही मुकदमों के बोझ से लदे न्यायालयों पर भी और अधिक भार पड़ता है। इस तरह का न्याय आम तौर पर असहज और नकारने योग्य ही होता है। इस प्रक्रिया में विबादों के पक्षकार बहुत सारा धन और समय खर्च कर चुके होते हैं, जिनका उपयोग राष्ट्रीय हित में बेहतर ढंग से किया जा सकता था। धन और समय की इस बर्बादी की परवाह न भी हो तो भी मुकदमें में फंसे दोनों पक्षों के बीच कटुता और दुश्मनी बढ़ती है। परिणामस्वरूप समाज का सामंजस्य भी बिगड़ता है।

सवाल हैं- क्या न्यायिक फैसले ही विवादों के समाधान निकालने का एकमात्र रास्ता है ? क्या इस तरह के समाधान समाज की बेहतरी के सर्वथा अनुकूल और संतोषजनक होते हैं? क्या मुकदमों के अनावश्यक प्रभाव से बचते हुए विवादों को सुलझाने का कोई प्रभावी तरीका अपनाया जा सकता है?

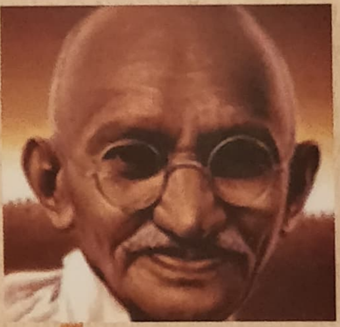
महात्मा गांधी

इन सवालों के जवाब खोजने के लिए कानूनविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शैक्षिक जगत के विशेषज्ञों और प्रशासकों ने बहुत विचार किया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चन्द्र लाहोटी की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया चली। हमारे देश की परम्परा में बहुत पहले से विवादों के समाधान के लिए सामाजिक संवाद और सहमति का खर्च रहित तरीका अपनाया जाता रहा है।

गांधीजी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसमें भी सामाजिक ढांचे के व्यापक और सर्वोन्मुखी विकास के लिए न्यायिक विवादों से रहित समाज प्रेरणास्रोत की तरह एक आदर्श उदाहरण होगा। चित्रकूट में नानाजी देशमुख के अग्रणी कार्यों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की परस्परता की परिकल्पना में भी यही भाव समाहित है।

नानाजी देशमुख

मैं समझता हूं कि एक वकील का सच्चा काम अलग-थलग पड़े पक्षों को एक साथ जोड़ना है। मेरे बीस साल की वकालत के दौरान्न सैकड़ों मामलों को समझौते की हद तक लाना मेरे लिए अहम सीख रही। महात्मा गांधी

हाल ही में मुझे मध्यप्रदेश के चित्रकूट में दीनदयाल उपाध्याय संस्थान को देखने का अवसर मिला। वहां मैंने महसूस किया कि संस्थान विवादरहित जोड़नेवाला माहौल प्रदान करता है। मैं समझता हूं कि इसके परिणामस्वरूप चित्रकूट के आसपास के 80 गांव आमतौर पर मुकदमारहित बन गये हैं। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि कोई भी विवाद कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। वे अपने विवादों का हल गांव में ही सौहार्दपूर्ण ढंग से निकालेंगे।

डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम

पं. दीनदयाल उपाध्याय

इस मंथन ने ''न्याय चौपाल'' का रूप ग्रहण किया, जो विवादों का सौहार्दपूर्ण हल करने और मुकदमों की बाढ़ रोकने की कोशिश के लिए काम करेगा। समाज में व्यापक तौर पर ऐसे अनुभवी और अवकाशप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी, न्यायविद् और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कानूनी वादकारियों के प्रति सहानुभूति का भाव अपना सकते हैं। वे अपने अधिकार, विश्वसनीयता और निष्पक्षता का उपयोग कर उन्हें उनके विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए सहमत कर सकते हैं। न्याय चौपाल ऐसे निःस्वार्थ लोगों को स्वेच्छा के आधार पर अपने साथ जोड़ती है।

अद्यतन गतिविधि

प्रारम्भ में फरीदाबाद में एक टीम का गठन हुआ। उसने ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में वैवाहिक विवाद और पारिवारिक बंटवारे के झगड़ों सहित विभिन्न विवादों पर विचार किया। विवादों में शामिल पक्ष समाज के हर वर्ग से थे। उनमें अशिक्षित ग्रामीणों से लेकर शहरों का उच्च शिक्षित वर्ग भी शामिल था। न्याय चौपाल के स्वयंसेवकों की कुशलता और कोशिशों के चलते बड़ी संख्या में विवादों का सफलतापूर्वक समाधान हो सका और वादकारियों की ओर से कोर्ट में दायर मामले वापस ले लिए गये। फरीदाबाद की तरह ही गुड़गांव और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भी अब इस तरह की टीमों ने विवादों की पहचान और उनके समाधान का काम शुरू कर दिया है।

लोगों में इसकी सकारात्म प्रतिक्रिया दिख रही है। इससे हमारा भरोसा बढ़ा है। इसे देशव्यापी बनाने के लिए दिल्ली में 10 जनवरी, 2018 को अखिल भारतीय बैठक हुई जिसमें पूरे देश से 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन प्रतिनिधियों में कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विधि शिक्षक, कुलपति, प्रशासक, सूचना तकनीक के जानकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट, वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। यह निश्चय किया गया कि देशभर के विभिन्न हिस्सों में जहां भी सम्भव हो, न्याय चौपाल केंद्रों की स्थापना की जाए।

उच्च न्यायिक संस्थाओं के पूर्व सदस्यों, और सरकारी अधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं वाली राष्ट्रीय कार्यसमिति ने निर्णय लिया कि ये विशिष्ट जन संगठन की नीति निर्धारण के लिए नियमित रूप से मिलकर विमर्श करें। प्रगति की समीक्षा करें। भविष्य की योजना निर्धारित करें। न्याय चौपाल स्वयंसेवकों के उत्साहवर्द्धन और दिशा निर्देश के लिए समय-समय पर देशभर में स्थान-स्थान के प्रयोगों की पुस्तिका भी प्रकाशित की जा रही है।

परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया या इसे यह कहना उचित होगा कि परस्परता भारतीय दर्शन की विशिष्टता है। जब हम एक दूसरे के अनुकूल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो सबको संतुष्टि मिलती है और हर व्यक्ति उस सामूहिक संतुष्टि का सहभागी होता है। हम सुखी होंगे। इसमें व्यक्ति और समाज दोनों सुखी होंगे।

पं. दीनदयाल उपाध्याय

न्याय चौपाल क्यों?

- पूरी तरह निःशुल्क
- पूर्णतः स्वैच्छिक
- विवादों को हल करने का प्रयास
- निर्णय नहीं, समाधान
- शिकायतों का मौके पर ही निवारण
- निष्पक्ष और सम्मानजनक समाधान
- पक्षकारों के बीच मान्य समझौते
- लालफीताशाही और लम्बी कानूनी प्रक्रिया नहीं
- अराजनीतिक और किसी भी सरकारी सहायता से मुक्त
- सामाजिक ढंग का समाधान और कानूनी रूप से भी मान्य
- समय, धन की बर्बादी और सामाजिक रिश्तों में कटुता से बचाव
- समाज में सद्भाव और सौहार्द स्थापित करने में सहायक
- मुकदमेबाजी में लगने वाले राष्ट्रीय संसाधनों को बचाकर उनका बेहतर उपयोग

www.nyayachaupal.in

[सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्था]
पंजीकृत कार्यालयः 16, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 भारत
फोनः +91-11-23319168, +91-9810608229
इ-मेलः info@nyayachaupal.in
ट्विटरः @NyayaChaupal
वेबः www.nyayachaupal.in